

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स० 29]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 19, 1969/स्रावाद 28, 1891

No. 29]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, 1969/ASADHA 28, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या वी जाती है जिससे कि यह घलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II--- लाण्ड 3--- उपलाण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के श्रम्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के खावेश, उप-नियम ख्रादि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 2nd July 1969

G.S.R. 1629.—in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby directs that on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the Railway Services (Safeguarding of Naional Security) Rules. 1954 shall stand repealed except as respects things done or omitted to be done thereunder.

[No. NS/Policy/15.]

C. S. PARAMESWARAN, Secv.

DULE

in Department of Cabinet Affairs

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt, by promotion or transfer & per - centage of vac- ancies to be filled by various methods	exists, what is	Circumstances in which U.P.S.C. is to be cons- ulted in mak- ing rectt.
8	9	10	II	12	13
N.A.	Two years if filled by promotion.	By promotion failing which by deputation.	By promotion from the posts of Technical Assistants (of the scale of Rs. 210—425) with 7 years' service in that grade. Deputation of U.D.Cs. from the offices of A.G.'s with 10 to 12 years of service in that grade.	Class III D.P.C.	N. A.

[No. 3/2/69-Admn.]

T. S. ANANTAKRISHNAN, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 19 July 1969.

- G.S.R. 1682.—In exercise of the powers, conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, published with the Notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. G.S.R. 347 dated the 6th March, 1962, namely:—
- I. (1) These rules may be called the All India Radio (Class II Posts) Recruitment (First Amendment) Rules, 1969.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Is the Schedule to the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, after S. No. 18 and the entries relating thereto, the following shall be inserted:—

2210	THE GA	THE GAZETTE OF INDIA: JULY 19, 1969/ASADHA 28, 1891				
ı	2	3	4	5	6	7
19.	Senior Accountant	2	General Central Service Class II Non-Gazetted Ministerial,	Rs. 270—15— 435—EB—20 575	Selection	Not appil cable.

8	9	10	11	12	13	14
Not appli- cable.	Not appli- cable.	z Years.	By promo- tion failing which by transfer on depu- tation.	Promotion: Head Clerk/Accountants with 5 years' regular service in the grade out of which 3 years' service should be in the post of Accountant.	Class II Depart- mental Promotion Commit- tee.	As requisid under the Union Pu liic Service Com- mission (Exemp- tion from Consul- tation) Regulations 1958.
				Transfer on deputation: Officers of the rank of S.A.S. Accountant from any of the organized Accounts Departments e.g. Indian Audit & Accounts Department, Indian Defence Accounts Department, Indian Railway Accounts Department, etc. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).		

[No. 7/12/68-B(A).]
A. V. NARAYANAN Under Secy.

सूचना भौर प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली , 19 जुलाई 1969

जी॰ एस॰ भार॰ 1683.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या जी॰ एस॰ भ्रार॰ 347, तारीख 6 मई, 1962 में प्रकाशित श्राकाशवाणी (द्विनीय श्रेणी पव) भर्नी नियमावली, 1962 में ग्रतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

- 1. (1) इन नियमों को ग्राकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पक्ष) भर्ती (प्रथम संशोधन)
 नियमावली, 1969 कहा जा सकेगा ।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगा।
- 2. भाकाशवाणी (द्वितीय⁷ श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 के परिशिष्ट में, कम संख्या 18 भीर उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाए:—

2313	THE (JAZETT:	E OF INDIA:	JULY 19, 19	69/ASAD	HA 28, 18	91 [P	art II—
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	सीनियर त्रेखापाल ।	2	केन्द्रीय सेवा	270-15- 435-द०र० -20-575 रुपये ।		ा लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं । होता ।

10

11

12

13

14

2 वष पदोन्नति द्वारा ऐसान हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर बदली द्वारा ।

पदोन्मतिः
प्रधान लिपिक/लेखापाल
जिनकी ग्रेड में 5 वर्ष की
नियमित सेवाहो जिसमें
लेखापाल के पद पर 3 वर्ष

लेखापाल के पद पर 3 वर्ष की सेवा हो ।

प्रतिनियु कित पर बदलीः
किसी भी संगठित लेखा
विभाग प्रथात् भारतीय
लेखाप रिक्षा ने लेखा विभाग,
भारतीय रक्षा लेखा विभाग,
भारतीय रेल ने लेखा विभाग,
प्रादि से एस ० ए० एस ०
के रेंक के लेखापाल (प्रतिनियुक्ति की प्रविध सामान्यतः 3 वर्ष से प्रधिक
नहीं होगी)।

द्वितीय श्रेणी संघ लोक सेवा ग्रायोग विभागीय (परामर्गे से मुक्ति) पदोन्नति विनियम, 1958 के समिति। भनुसार।

[संख्या 7/1268-बी(ए)]

जी एस॰ मार॰ 1684:—संविधान के मनुष्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त प्रक्षिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत सरकार के सूचना भीर प्रसारण मंत्रालय की प्रधिसूचना संख्या जी एस॰ भार॰ 1776, तारीख 30 नवम्बर, 1964 में प्रकाशित भाकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 में प्रतिरिक्त संशोधन करनें के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

- (1) इन नियमों को झाकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन)
 नियमावली, 1969 कहा जा सकेगा।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपन्न में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- 2. भाकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1969 के परिशिष्ट में कम संख्या 59 के बाद निम्नलिखित गडद जो इ दिए आएं:—

होता। होता।

होता ।

ऋम संख्य	rī	पदों का विवर	ण	भर्ती पद्धाः प्रतिश	ति तथा वि तजो इसः		-
 पदन	ताम प	दका वर्गीकरण	वेतनमान	सीघी	पदो	न्नति द्वारा	
				भर्ती ——— द्वारा चय	चयन	वरिष्ठता तथा योग्यता श्राधार	स्थाना न्तरणः
1	2	3	4	5	6	7	8
44.	प्रनुसन्धान सहायकः ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा,	210-10-290- 15-320-ব্তম্বত	100%.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

तृतीय श्रेणी, -15-425 रुपये।

म्रलिपिकीय, गैर राजपक्षित ।

भाष्ट							
	सीधी भर्ती के लिए भ्रह्तेताएं	ोक्षाधीन प्रवधि	पदोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के लिये अर्हताएं				
श्चाय् सीमा	शैक्षिक तथा श्रन्य धर्हताए जिनकी जरूरत है		क्या पदोन्नति स्थानान्तरण द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के लिये भी वह शंक्षिक भ्रहताएं लागू होंगी जो सीधी भर्ती के लिये हैं।	वे ग्रेड/स्रोत जिनसे पदो प्रति/स्थाना स्तरण किया जाता है।			
9	10	11	12	13			
45 वर्ष से कम।	जकरी:— (1) ध्रर्थणास्त्र, सांक्यिकी समाजशास्त्रयाध्रन्य सामा- जिक विज्ञान में डिग्री।	दो वर्ष	लागू नहीं होता	लागू नही होता ।			
	(2) क्षत्रीय अनुसन्धान या सांक्ष्यिकी जांच पर सरकारी कार्यालय में अनुसन्धान या मान्यता प्राप्त अनुसन्धान इन्स्टीट्यूट या संस्था में कुछ अनुभव। (3) सांक्ष्यिकी में दक्षता।						

[संक्या 17(13)/68-की (ए)] ए॰ वी॰ नारायनम्, भवर सनिव।